


## प्र.सं. 1/18, 2/18 पारू बनाम लालु व अन्य

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.04.2024	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 9 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेन्ड मोटी, पटवार हल्का खूटागलिया, तहसील गांगड़तलाई में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 126 से 132, 134 से 138, 155 से 158, 207, 220 से 224, 227 से 230, 234 से 236, 246, 316 व 317 कुल किता 32 रकबा 7.8400 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 से 9 व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा होकर मौके पर बहामी बंटवारा कर खेती करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी वादीगण के साथ झगड़ा करता है, जिससे वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 28.06.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26.10.2017 को अंतिम डिक्री जारी की।</p> <p>उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.06.2017 से रूष्ट होकर अपीलान्त द्वारा अपील संख्या 1/2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.10.2017 के विरुद्ध अपील संख्या 2/2018 इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2018 को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री एम. के. गांधी उपस्थित हुई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।</p> <p>उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 41/2014 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा</p>	 <p style="text-align: right;">DW</p>




प्र.सं. 1/18, 2/18 पारू बनाम लालू व अन्य

हैं। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अभिभाषक अपीलान्त ने दोनों अपीलों के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त अपनी भूमि पर काश्त कर रहा था तभी रेस्पॉन्डेन्ट अन्य व्यक्तियों के साथ मौके पर आये एवं विवाद किया तथा फैसला अपने हक में हो जाना बताया, जिस पर दिनांक 08.01.2018 को अधिनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए दोनों अपीलों अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी की तामिल में नियत था, किन्तु बिना तामिल एवं बिना जवाबदावा लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलान्त ने उक्त आराजियात बाबत् घोषणा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पॉन्डेन्टगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या 112/2011 होकर पेशी दिनांक 19.01.2018 नियत थी। इस प्रकार उक्त अपीलीय वाद संख्या 41/2014 पश्चात्पूर्ती वाद है एवं दोनों ही प्रकरण में वाद की विषय वस्तु एक समान होने से अधिनस्थ न्यायालय को समेकित निर्णय पारित करना चाहिए था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार लेमजी थे, जिसके चार पुत्र रसिया, लालू, बेसिया व जलिया हुए। जलिया के कोई संतान नहीं होने से अपीलान्त जरिये के गोद गया, जिससे उसका विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा है एवं वह जलिया के 1/4 हिस्से पर काबिज चला आ रहा है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अतः अपीलों स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।



प्र.सं. 1/18, 2/18 पारू बनाम लालु व अन्य

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है एवं इसी को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय पारित करने हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जारी की हैं, किन्तु इन्हीं आराजियात बाबत् एक अन्य वाद संख्या 112/2011 जो अपीलान्त पारू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2018 को डिक्री किया गया है, जिसने अपीलाधीन निर्णय एवं वाद संख्या 112/2011 में दिनांक 22.06.2018 को पारित निर्णय आपस में विराधाभाषी हैं। ऐसी स्थिति में दोनों वादों को समेकित कर निर्णय पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.06.2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 26.10.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 41/2014 एवं अपीलान्त पारू द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 112/2011 को समेकित करते हुए तथा उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.06.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांग्रावत)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

